बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ0 बजट–आवंटन–16 / 2014 277 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 30-03-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सामान्य) सिकहरना, मोतिहारी / उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) गया / सहायक निदेशक (शष्य) नवादा।

विषय : **योजनाओं को प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष, 2014–15 में कुल ₹6,49,44,000 (छः करोड़ उनचास लाख चौवालीस हजार रू० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य के लिए ₹ 5,48,77,680 (पाँच करोड़ अड़तालीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹6,02460 (छः लाख दो हजार चार सौ साठ रू० मात्र) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2449 दिनांक–30.05.2014 द्वारा योजनाओं को प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना का वित्तीय वर्ष, 2014–15 में कुल ₹6,49,44,000 (छः करोड़ उनचास लाख चौवालीस हजार रू० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य के लिए ₹ 5,48,77,680 (पाँच करोड़ अड़तालीस लाख सतहत्तर हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है।पूर्व में विभागीय पत्रांक–29 (आवंटन) दिनांक–16.06.2014 द्वारा मो॰ 2,07,40,400 रू॰ ,पत्रांकः–129 (आवंटन) दिनांक–21.10.2014 द्वारा मो० 1,17,90,520 रू०, पत्रांकः–165 दिनांक–18.11.2014 द्वारा 39,49,380 रू० ,पत्रांकः–218 दिनांक–16.01.2015 द्वारा ₹93,03,940 रू० एवं पत्रांकः–261 (आवंटन) दिनांक–16.03.2015 द्वारा ₹16,73,340 रू० आवंटित की जा चुकी है। पुनः उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि से व्यय हेतु कुल ₹6,02460 (छः लाख दो हजार चार सौ साठ रू० मात्र) निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्रम० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत भाड़े के वाहन की संख्या	स्वीकृत राशि सामान्य वर्ग के लिए	विभागीय पत्रांक–29 (आवंटन) दिनांक–16.06.2014 द्वारा पूर्व में आवंटित राशि (रू0 में)	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सामान्य) सिकहरना, मोतिहारी।	1	334620	133800	200820	334620
2	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) गया	1	334620	133800	200820	334620
3	सहायक निदेशक (शष्य) नवादा।	1	334620	133800	200820	334620
योग–		3	1003860	401400	602460	1003860

2. इस आवंटित ₹6,02460 (छः लाख दो हजार चार सौ साठ रू० मात्र) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन माँग सं0–01–उपशीर्ष–0106–परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण नई राज्य योजना कार्यक्रम, विषयशीर्ष–51 01–मोटरगाड़ी विपत्र कोड–P2401000010106 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-5011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांकः–6720 वि0 (2) दिनांकः–25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\30-08-2014.doc

6. व्यय का सत्यापन महालेखाकार बिहार,पटना के कार्यालय से कराने के बाद प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह) 30/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 277 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 30-03-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 277 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 30-03-2015

प्रतिलिपि :संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, (पी0 पी0 एम0), बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना)/आई टी मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

30/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\30-08-2014.doc